न्यायालय- अपर सेशन न्यायाधीश रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शैलेष जड़िया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1. हरिसिंह पुत्र सुल्तान उर्फ सूल्तानिया उम्र 35 साल निवासी जुल्मी चौकी के पीछे कंजर बस्ती जुल्मी सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा।
2. मुकेश पुत्र रंगलाल उम्र 27 साल निवासी नारायणपुरा खेडा थाना झालरापाटन, सदर जिला झालावाड हाल जुल्मी चौकी के पीछे कंजर बस्ती जुल्मी सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

-बनाम-

राज्य सरकार, जर्ये अपर लोक अभियोजक, रामगंजमंडी

.....अप्रार्थी/अभियोगी

(जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 162/2026)

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(एफ.आई.आर. नं. 121/2026 थाना मोडक)

अपराध अन्तर्गत धारा 109(1),3(5), 310(2),311 बीएनएस व 3/25 Arms Act

उपस्थित

1. श्री रोहित पाटीदार - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. अपर लोक अभियोजक - अप्रार्थी की ओर से

- <u>आ दे श</u>- दिनांकः 16.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्तगण **हरिसिंह** और **मुकेश** की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक को प्रार्थना पत्र की नकल दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि," दिनांक 13.04.2026 को फरियादी श्री ऐजाज अली पुत्र बरकत अली ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि 13.04.2026 को रात्री करीब 01.00 ए.एम. बजे की बात है मैं अपने घर पर T.V. देख रहा था। मेरे घर पर CCTV कैमरे लगे हुये है जिसका कंट्रोल मेरे कमरे में लगा हुआ है। जिसमें मुझे साइड के कमरे का लोक तोडते हुये व्यक्ति नजर आये। मेरे पास के कमरे में मेरे दोनों बेटे शाहदाब अली, शाहबाज अली लेटे हुये थे। जिसको मैंने बताया की चोर आ गये, इस पर हम तीनो बाप-बेटे बाहर आये तब चारो व्यक्तियों ने मौके से मोटरसाईकिल लेकर भागना शुरू किया हमने इनका पीछा किया इन्होंने दो फायर किये उनमें से एक व्यक्ति ने पत्थर उठाकर शाहबाज अली के सिर में फेंक कर मारी जिससे मेरे बेटे शाहबाज अली के सिर में गंभीर चोट आई। उन लोगों में से एक व्यक्ति को पकड लिया जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र पुत्र उम्मेद सिंह निवासी जुल्मी का होना बताया तथा फरार व्यक्ति के बारे में जानकारी ली तो राजेन्द्र ने हरिसिंह पुत्र सुल्तान सिंह व मुकेश पुत्र हरलाल निवासी जुल्मी का होना बताया व एक और व्यक्ति का नाम नही जाानना बताया। मेरे बेटे शाहबाज अली के सिर में अधिक चोट आने के कारण CHC रामगंजमण्डी ईलाज हेतु लेकर गये तो डॉक्टर ने शाहबाज अली को झालावाड रैफर कर दिया .....इत्यादि।

03. उक्त पर प्रकरण संख्या 121/2026 थाना रामगंजमण्डी अंतर्गत धारा 109(1),3(5), 310(2),311 बीएनएस व 3/25 Arms Act में दर्ज होकर वर्तमान में मामला विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को दिनांक 11.05.2026 को थाना रामगंजमण्डी द्वारा गिरफतार किया गयाा। प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2026 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया।

04. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त उनवान का प्रकरण पुलिस थाना रामगंजमण्डी द्वारा दर्ज रजिस्टर करके प्रार्थीगण को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवा दिया गया। वर्तमान में प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी पर लगाए गए आरोप सर्वथा मिथ्या एवं झूठे हैं, उसका आरोपित अपराध से कोई सरोकार नहीं हैं। वास्तविकता इस प्रकार है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण अपने दो साथियों के साथ शादी में से रात्री के समय रामगंजमण्डी आये थे किन्तु रात्री अधिक होने से साधन नहीं मिलने के कारण प्रार्थी/अभियुक्तगण पैदल ही ग्राम जुल्मी जा रहे थे। जैसे ही वो फरियादी के घर के सामने से निकल रहे थे तो इन्हें चोर समझकर इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने किसी भी प्रकार से चोरी करने व लूट करने की कोई घटना कारित नहीं की है। प्रार्थीगण ग्राम जुल्मी जिला कोटा एवं नारायणपुरा जिला झालावाड के स्थायी निवासी है, जिनके फरार होने या गवाहों को टेम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र जमानत पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की जमानत स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी को रिहा करने के आदेश प्रदान करनें की कृपा करें।

03. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण के तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. मैंने दोनों के परस्पर विरोधी तर्कों पर गौर किया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।

05. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत जुगलकिशोर बनाम राजस्थान राज्य, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13513/2020, आदेश दिनांक 26.11.2020 में पारित दिशा-निर्देशों की पालना में पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी/अभियुक्त **हरिसिंह** का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड -

क्र. सं.	मुकदमा नंबर	पुलिस थाना	अपराध अंतर्गत धारा	सीएस नंबर	नतीजा
1.	09/2012	सुकेत	16/54 एक्साईज एक्ट	16/20.01.2012	सजा 15.02.2012
2.	83/2023	सुकेत	341, 323, 336, 427, 504, 307, 34 भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट	354/14.12.2023	पेण्डिंग कोर्ट

2. प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश** का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड -

क्र. सं.	मुकदमा नंबर	पुलिस थाना	अपराध अंतर्गत धारा	चार्जशीट नं. मय दिनांक	नतीजा
1.	141/2017	बकानी, जिला झालावाड	399, 402, भा0द0सं0 व 4/25 आर्मस एक्ट	119/11.09.2017	-
2.	205/2014	भवानीमण्डी	457, 380 भा.दं.सं.	189/31.07.2014	-

06. बहस सुनी गई। लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर पूर्व प्लानिंग के साथ घटना कारित की गई है एवं फरियादी के घर से चोरी के प्रयास एवं पकडे जाने पर फरियादी एवं उसके परिवारजन के उपर फायरिंग एवं मारपीट के गंभीर अपराध कारित करने का आरोप है। प्रकरण में हत्या के

प्रयास का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पर पूर्व के दो-दो आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त राजेन्द्र की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2026 को खारिज की जा चुकी है। अतः इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रकरण के इस प्रक्रम पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

07. अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त **हरिसिंह** और **मुकेश** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(शैलेष जड़िया)
अपर सेशन न्यायाधीश
रामगंजमंडी, जिला कोटा

08. आदेश आज दिनांक 16.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(शैलेष जड़िया)
अपर सेशन न्यायाधीश
रामगंजमंडी, जिला कोटा

UMASHANKER GAUTAM
Steno Gr. Ist
"Authenticate Document"
Digitally signed by UMASHANKER GAUTAM
Date: 2026.06.18 09:08:13 +0530